an>

Title: Need to enhance the time to use loudspeaker during Ganesh Chaturthi.

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यू.पी., गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली में गणेश चतुर्दशी का त्यौहार काफी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह त्यौहार धार्मिकता से बढ़कर सांस्कृतिक सौहार्द्र का प्रतीक है। इस त्यौहार में पूरे दस दिनों तक सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। इस त्यौहार-उत्सव की शुरूआत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। श्रीगणेश चतुर्दशी के त्यौहार में पूजा-अर्चना के साथ-साथ शाम को लोक संस्कृति के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो देर रात तक चलते हैं। परंतु लाउडस्पीकर चलाने की अनुमति रात को सिर्फ दस बजे तक है। इस कारण लोक संस्कृति के कार्यक्रमों के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि श्रीगणेश चुतर्दशी के त्यौहार के लिए दस दिनों तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति रात 12 बजे तक अवश्य दी जाए। यदि सरकार चाहे तो लाउडस्पीकर की आवाज़ की सीमा निश्चित कर दे।

माननीय अध्यक्ष: आसपास के लोगों से पूछना पड़ेगा।

श्री चन्द्रकांत खैरे : सरकार से प्रार्थना है कि वह सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करे, ताकि इस तरह का जो बैन लगा हुआ है, वह रद्द हो सके। साउंड पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए आवाज़ की सीमा तय की जाए। इस सांस्कृतिक त्यौहार एवम् नवरात्रि में रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: इसके साथ यह भी कहें कि फिल्मी संगीत नहीं बजाना चाहिए, तो चल सकता है।